Dr. Archana Bharti, Guest Faculty
MJMC/SEM 1/Paper 101
Date- 29/04/2021

NORMATIVE THEORIES (Cont...)
जनसंचार के नियामक सिद्धांत

2. उदारवादी सिद्धांत (Libertarian Theories)

विल्बर श्राम के अनुसार, उदारवादी सिद्धांत की अवधारणा 16वीं शताब्दी में बनी, 17वीं शताब्दी में यह अंकुरित हुई और 18वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत और इसके विचारधारा को लोगों ने फूलते–फलते हुए देखा। लोकतंत्र का उदय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेंसरशिप मुक्त की स्थापना तथा सूचनाओं की पारदर्शिता में उदारवादी सिद्धांत का विशेष योगदान है। इस सिद्धांत के अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव जीवन का आधार तथा प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रमुख हथियार है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार मानव के मन में अपने विचारों को किसी भी रूप में प्रकट करने, संगठित करने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए।

फ्रांस की क्रांति तथा 19वीं सदी में विभिन्न नागरिक अधिकारों की अवधारणा से प्रेस की स्वतंत्रता की विचारधारा को मजबूती मिली। उदारवादी शासन व्यवस्था में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इसका सीधा प्रभाव प्रेस पर भी देखने को मिला। परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों और सेंसरशिपों से प्रेस को मुक्ति मिलने लगी। स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता के सम्बंध में प्रसिद्ध विचारक **जॉन मिल्टन, थॉमस जेफरसन, जॉन स्टुवर्ट मिल** ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए थे। इनके अनुसार लोकतंत्र के लिए उदारवादी सिद्धांत का होना अनिवार्य है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मानव विवेकमान होता है। यदि सरकार प्रेस को स्वतंत्र छोड़ दें तो लोगों को विभिन्न तथ्यों की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

उदारवादी सिद्धांत के संदर्भ में **थॉमस जेफरसन** का विचार है कि प्रेस का मुख्य कार्य जनता को सूचित करके उसे जागरूक बनाना है। शासक अपने कार्यों से विचलित न हो, इसके लिए प्रेस को जागरूक रहना चाहिए। समाचारपत्र लोगों पर भावनात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। थॉमस ने जांच–पड़ताल के नाम पर लोगों को डराने–धमकाने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। इस संदर्भ में

दार्शनिक **जॉन स्टुअर्ट मिल** का विचार भी काफी महत्वपूर्ण हैं। मिल का विचार था कि ''यदि हम किसी विचार पर शांत या मौन रहने को कहते हैं तब हम सत्य को शांत या मौन कर देते हैं।'' इन विचारकों द्वारा प्रभुत्ववादी सिद्धांत पर सवाल उठाने पर सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च तथा राज्य सत्ता को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते मानव के अधिकार और ज्ञान का विकास हुआ।

उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत मानव के विवेक एवं स्वतंत्रता को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। साथ ही उसे अपने विचारों, भावनाओं, मूल्यों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी सिद्धांत और विचारधारा के कारण 19वीं शताब्दी में अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार का गठन हुआ। अमेरिकी संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। इससे प्रेस को सेंसरशिप से मुक्ति मिली। वर्तमान में अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क समेत दुनिया के कई देशों में उदावादी सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर अध्ययन चल रहे हैं। पेटर्सन और श्राम का कहना है कि–जनमाध्यमों को लचीला होना चाहिए। मास मीडिया में समाज में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत विचारों तथा सत्य का उन्मुक्त वातावरण बनाते हुए मानव के हितों को आगे बढ़ाना चाहिए।

इस प्रकार उदारवादी विचारधारा के प्रतिपादकों ने लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए लोगों को सभी प्रकार की सूचनाओं में पारदर्शिता लाने तथा उसे उपलब्ध कराने पर जोर दिया। यही कारण है कि 21वीं शताब्दी के पहले दशक में दुनिया के अनेक देशों में सूचना का अधिकार कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया गया। उदारवादी सिद्धांत प्रमुख बिन्दुओं पर जोर देता है जो इस प्रकार है–

- व्यक्ति स्वतंत्र और तार्किक है जो सही गलत, अच्छे–बुरे की पहचान कर सकता है।
- समाज मनुष्य को अपनी पसंद और अपने विचारों को लागू करने का अवसर दें तथा विचारों के लिए एक स्वतंत्र वातावरण पैदा करें।
- सत्य के सम्बंध में आत्म विश्लेषण और आत्म संयम की प्रेरणा का अवसर मिलें।
- सत्ता से स्वतंत्र तथा निजी स्वामित्व वाला मीडिया एक स्वतंत्र एवं उन्मुक्त वातावरण पैदा करें।

उदारवादी सिद्धांत के आलोचकों का मानना है कि मौजूदा समय में इस सिद्धांत की मूल तथ्यों को भले ही बाह्य रूप में लागू किया गया है परन्तु अंतर्वस्तु में नहीं, क्योंकि जनमाध्यमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या प्रभावित करने वाले सरकारी और गैर सरकारी दबाव हित समूह मौजूद है। इस सिद्धांत के

संदर्भ में कई बार ऐसे विचार प्रकट किए जा चुके हैं कि यदि कोई स्वतंत्रता का दुरूपयोग करें तो क्या किया जाए? दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार प्रतिबंध लगा सकती है लेकिन विचार अभिव्यक्त या प्रसारित करने से पहले सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता है।

3. सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत (Social Responsibility Theories)

सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका में वर्ष 1947 में स्वतंत्र एवं जिम्मेदार प्रेस के लिए गठित आयोग ने किया, जिसके अध्यक्ष कोलम्बिया विश्वविद्यालय के **रॉबर्ट हटकिंस** थे। इस सिद्धांत को उदारवादी सिद्धांत की वैचारिक पृष्ठभूमि पर विकसित किया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत के अनुसार, जनमाध्यम केवल समाज का दर्पण नहीं होता है, बल्कि इसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। जनमाध्यमों का कार्य समाज में घट रही घटनाओं को पेश करना मात्र नहीं है बल्कि इसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि वे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा का प्रसार करने, साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने तथा देश हित की रक्षा में मदद करें। जनमाध्यमों को केवल समाज की इच्छा से नियंत्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छे पथ प्रदर्शक की तरह समाज के हित में उचित निर्णय भी लेना चाहिए।

अमेरिका में सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का प्रतिपादन जनमाध्यम के विकास के बाद हुआ। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में अमेरिकी जनमाध्यमों में आपसी प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिक हित के कारण समाचारों को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करने की होड़ लगी थी। इससे एक ओर जहां सामाजिक सरोकार प्रभावित हो रहे थे, वहीं उदारवादी सिद्धांत के आत्म–नियंत्रण की अवधारणा समाप्त होने लगी थी। हटकिन्स आयोग ने जनमाध्यमों की इस प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका मानना है कि प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक उत्तरदायित्व में निहित है। जो वास्तव में उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है।

यह सिद्धांत सामाजिक उत्तरदायित्व की भी याद दिलाता है। अतः मीडिया की सामग्री सनसनीखेज नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व पर केंद्रित और सत्य परख होनी चाहिए। इसके लिए आयोग ने एक नियमावाली व्यवस्था लागू करने का सुझाव भी दिया जिसे प्रेस की क्रिया–कलाप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हटकिन्स आयोग ने कुछ सरकारी कानूनों का सुझाव दिया, जिसमें प्रेस के

मुनाफाखोर या गैर–जिम्मेदार होने की स्थिति में स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी होने के बावजूद प्रेस पर अंकुश लगाने का प्रावधान है। सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है–

- जनमाध्यमों को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का स्वंय निधारण तथा पालन करना चाहिए।
- समाज की घटनाओं का सार्थक तरीके से संकलित करके सत्य, सम्पूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण चित्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए जनमाध्यमों को स्वंय स्थापित संस्थागत नियम और कानूनों के अंतर्गत निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
- जनमाध्यमों को विचारों के आदान–प्रदान के साथ–साथ आलोचना का वास्तविक मंच भी बनना चाहिए।
- समाज में अपराध, हिंसा, और अशांति उत्पन्न करने वाली सूचनाओं से जनमाध्यमों को दूर रहना चाहिए।
- सामाजिक उद्देश्यों एवं मूल्यों की प्रस्तुति, स्पष्टीकरण तथा स्पष्ट समझ बनाने के लिए गंभीर होना चाहिए।
- जन अभिरूचि के नैतिक मूल्यों के विकास की कोशिश करनी चाहिए।
- नए विचारों को उचित स्थान तथा सम्मान देना चाहिए।

जारी.....